

आति. जिला कलेक्टर (पुष्पानन)  
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलार्थीनाम

- श्रीगंगानगर।  
अकवाम जटिख सकनाए एक 5 एक बडा तहसील व जिला
1. गुरदयालसिंह पुत्र हरीसिंह
  2. गुरबचनसिंह पुत्र हरीसिंह
  3. इकबालसिंह पुत्र रणसिंह
  4. हरमन्दरसिंह पुत्र हरीसिंह
  5. मलविसिंह पुत्र हरीसिंह
  6. इन्दजीलसिंह पुत्र राजसिंह
  7. हरबशासिंह पुत्र रणसिंह
  8. गुरजन्तसिंह पुत्र रणसिंह
  9. मलकीयतकार बवा महेन्द्रसिंह
  10. निर्मलकार पुत्री स्व० श्री महेन्द्रसिंह
  11. कुलविन्दकार बवा श्री महेन्द्रसिंह
  12. तरसमसिंह पुत्र स्व० श्री महेन्द्रसिंह
  13. अमनदीपकार पुत्री स्व० श्री महेन्द्रसिंह

अपील इतकाल प्रकरण सं० 5/15

उपस्थित : 1. श्री 10 वी० बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थीनाम  
2. श्री गुरविन्दसिंह सिद्धू, अधिवक्ता, रैप्राडेन्ट

641

अपील विरुद्ध आदेश उप तहसीलदार, हिन्दूमलकोट दिनांक 1-1-15 इतकाल सं०

रैप्राडेन्टस

1. नाथ तहसीलदार, हिन्दूमलकोट
2. बशीरखान पुत्र श्री नवाबखान निवासी पुरानी पटखा फ़ैटसी, श्री गंगानगर।

बनाम

अपीलार्थीनाम



1. सरजीलसिंह पुत्र सजवारसिंह जालि रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. भावानसिंह पुत्र सजवारसिंह जालि रायसिख निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपील इतकाल प्रकरण सं० 01/15



पीठाधीन अधिकायी : कर्णसिंह गाढवाल, आर०ए०ए०ए०

अपीलार्थीनाम (पुष्पानन)



5  
27

अपील सं० 5/15 के साक्ष्य में तथ्य इस प्रकार है कि एक बड़ा कर्मचारी सं० 34 के किला नं० 14 की 16 बिस्वा व 18 की 5 बिस्वा कृषि बिस्वा व सं० 33 के किला नं० 1 से 3 व 9 और 10 की 2 बीघा 8 बिस्वा कृषि अपीलार्थीगण के द्वारा जारी विक्रय पत्र दिनांक 6-2-75 व 6-2-76 सं० 2 से कय की हुई है। सं० 2 के द्वारा अपनी समस्त कृषि भूमि का बंधान किया हुआ है लेकिन राजस्व अभिलेख में सं० 2 लालसिंह के नाम 1.390 हे० कृषि भूमि का गलत इन्दाज होने के कारण सं० 2 के द्वारा सं० 34 व 42 के खाला सं० 70/64 में दर्ज 1.390 हे० कृषि भूमि का विक्रय दिनांक 12.9.07 को सं० 1 को कर दिया गया और इसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि एक बड़ा पूर्व में विक्रित है और विवाहित है, के उपराल भी अपीलार्थीन आदेश दिनांक 1-1-15 को पारित कर दिया। विवाहित कृषि भूमि सं० 10 के कब्जा काहेल में नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण के कब्जा काहेल में है। अपीलार्थीगण की उपरोक्त वर्णित कय की गई भूमि के अतिरिक्त सं० 2 के नाम गलत तौर पर दर्ज उसके द्वारा कुल भूमि का बंधान किये जाने के कारण सुरजीतरिंह व तीन अन्य नामक व्यक्तियों ने सं० 10 के खाला सं० 70/64 कास्ट रेंज, श्री गंगानगर के न्यायालय में पेश किया हुआ है, जो वर्तमान में ए०सी०एम० फास्ट रेंज, श्री गंगानगर के न्यायालय में सुरजीतरिंह व नाम बशीरख़ा व लालसिंह के नाम से लम्बित है। बाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में दिनांक 30-12-14 को यह आदेश पारित किया गया है कि कर्मचारी बाद पत्रावली के निस्तरण तक एक 5 एक बड़ा तह० श्री गंगानगर के खाला सं० 70/64 व 42 व 42 की 7.804 हे० कृषि भूमि में से कुल 3.16 बीघा कृषि भूमि में स्वयं अथवा किसी भी अन्य माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषेध रहे। यह आदेश अभिलेखा पर प्रभावित नहीं रहेगा। सं० 10 के द्वारा उक्त आदेश का अर्जित लाभ उठाले हुए दिनांक 1-1-15 को विवाहित कृषि भूमि का इंतकाल सं० 1 के द्वारा अपने नाम दर्ज करा लिया। विधि अनुसार सं० 2 के द्वारा सं० 1 के पक्ष में करवाया गया विक्रय विलेख प्रारम्भ से ही अर्कत एवं शून्य है क्योंकि सं० 2 के स्वामित्व में विक्रय योग्य कोई भूमि ही नहीं थी और मात्र राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर किसी को कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन प्रविष्टि के कारण अर्जित संव्यवहार ही जाना सामान्य बात है और इसी का अर्जित फायदा सं० 2 द्वारा उठया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थीन इंतकाल निरस्त करमाया जावे।

दोनों अपीलों में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपील के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अपीलार्थी के दादा जोगरसिंह को एक 5 एक बड़ा में सं० 34 में एवं सं० 42 में 30 बीघा 17 बिस्वा एकठा अर्जित किया गया था, जिसमें 5/7 हिस्सा सजवार सिंह, उसकी पत्नी के उत्तराधिकारी के नाम तथा 2/7 हिस्सा लाल सिंह एवं माया बाई के नाम दर्ज किया गया। लाल सिंह की माता सती बाई की गुरुदेव सिंह उर्फ गुरुदेव सिंह के साथ पहली शादी हुई थी तथा लाल सिंह व माया बाई दोनों गुरुदेव सिंह उर्फ गुरुदेव सिंह के संतान थी। इनके द्वारा पूर्व में अपने हिस्से की जमीन का बंधान कर दिया था लेकिन उनके नाम इंतकाल तस्दीक हुआ। अब बिना किसी आधार पर 5 बीघा एकठा का बंधान रूपाईट के नाम किया गया जबकि जमीन का विवाद चल रहा था। अपीलार्थी ने एक बाद उपजिलाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें स्थान आदेश जारी किया हुआ है तथा दिनांक 31.12.2014 को स्थान आदेश का फंसला कन्फर्म

जिला कलेक्टर (पंजाब)



श्री. लिला कलक्टर (प्राथमिक)  
श्रीगंगानगर (राज.)

अवलीकन किया गया।  
पत्रावली के अवलीकन से पया गया कि अधीनस्थान इंतकाल सं० 641  
रजि० बैयनामा के आधार पर दिनांक 31-12-14 को पटवारी हल्का द्वारा खोला  
गया था, जिस में अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 1-1-15 को मिलान करते हुए  
नोट अंकित किया गया कि पूर्व में भी इस रकबा का नामान्तरण सं० 403 दर्ज  
किया जा चुका है जिसमें मू अभिलेख शिवपुर द्वारा रकबा पूर्व में दिनांक  
6-2-76/354 व 6-2-76/607 कूल .961 है 0 बैयान होने एवं रकबा विवादित  
होने बाबत रिपोर्ट की गई है। नामान्तरण सं० 403 निर्णय से शेष है। उचित  
निर्णय हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रेफर कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा  
दिनांक 1-1-15 को ही अपने आदेश में वर्णित किया गया कि नामान्तरणकरण के  
कैसल हेतु पेश हुआ। बैयनामा व सलन न्यायालय ए सी एम श्री गंगानगर की  
पत्रावली सं० 60/13 निर्णय दिनांक 30-12-14 के अनुसार स्वीकार किया जाता  
है। निर्णय के अनुसार केला 3 बीघा 16 बिस्वा मुंसि विवादित पर कब्जा न करने  
के लिए पाबन्द किया हुआ है। ए०सी०एम०, श्री गंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक  
30-12-14 में विवादित मुंसि के संबंध में किलों को नहीं खोला गया है। खोला  
सं० 70/64 मुं० नं० 34 एवं 42 की कूल 7.804 है 0 कृषि मुंसि में से कूल 3  
बीघा 16 बिस्वा कृषि मुंसि में अग्रथीगण/अपीलांस स्वय अथवा किसी भी अन्य  
माध्यम से हस्तक्षेप करने से निषिद्ध रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजि० बैयनामा  
के आधार पर 1.390 है 0 मुंसि का इंतकाल ए०सी०एम० के निर्णय दिनांक  
30-12-14 के आधार पर स्वीकृत किया गया है जबकि निर्णय 3.16 बीघा मुंसि के  
संबंध में है जो खोला सं० 70/64 के मुं० नं० 34 व 42 की 7.804 है 0 कूल मुंसि  
में से 3.16 बीघा मुंसि है। इससे यह पता नहीं चलता है कि यह 3 बीघा 16

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से  
पत्र पेश नहीं किया है। अतः अधील खरिज की जावे।  
1975 से खरीद कर बैठ है। मूल दावा लंबित है। धारा 96 सीपीसी का प्रथमा  
के अनुसार खरीद किया है। अधीलांस को कोई हक व हिस्सा नहीं है। वर्ष  
प्रभावित पक्षकार नहीं है। रकबा लालसिंह से सजवारसिंह के नाम आया है। हिस्से  
रेस्पॉडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीलांस दोनों ही  
स्वीकार की जाकर अधीनस्थान इंतकाल निरस्त करमाया जावे।  
कायदा सं० 2 द्वारा उठाया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अधील  
के कारण अनर्चित संबंधार हो जाना सामान्य बात है और इसी का अनर्चित  
आधार पर किसी को कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन प्रविष्टि  
विक्रय योग्य कोई मुंसि ही नहीं थी और मात्र राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के  
विशेष प्रारम्भ से ही अर्कत एवं शून्य है क्योंकि सं० 2 के स्वामित्व में  
कि अनुसार सं० 2 के द्वारा सं० 1 के पक्ष में करमाया गया विक्रय  
अधीन सं० 5/15 में अधीलांस के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है  
दिनांक 01.01.2015 निरस्त करमाया जावे।  
इस प्रकार निवेदन किया गया है कि अधील स्वीकार की जाकर अधीनस्थान आदेश  
दूसरे दिन ही नामान्तरण हो गया। समूर्ण कायवाही एक ही दिन की गई है।  
द्वारा तस्दीक किया गया था। ए०सी०एम० सं० का आदेश दोषपूर्ण है। आदेश के  
इंतकाल स्वीकृत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि पूर्व इंतकाल याम पंचायत  
करने से पूर्व अधीलांस को कोई विधिवत सूचना नहीं दी गई। उप तहसीलदार को  
न्यायालय ने अन्तिम आदेश मानकर विधिक भूल की है। अधीनस्थान आदेश पारित  
को इंतकाल जा पूर्व में रोकना था उस तस्दीक कर दिया। अधीनस्थान  
कर दिया गया है। अधीनस्थान न्यायालय बिना किसी आधार पर दिनांक 01.01.2015



श्रीगंगानगर (राज.)

(कपसिंह गौड़वाल)  
 अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)  
 श्रीगंगानगर। 15/12/11

विद्या किस मुरब्बा व इसके किले-2 कौन-2 से है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस  
 लय की भी जांच नहीं की कि रेसपो सं 2 के स्वामित्व में विक्रय योग्य कोई  
 मीस थी अथवा नहीं थी और मात्र राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर किसी  
 को कोई स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन प्रविष्टि के कारण  
 अनुचित फायदा रेसपो सं 2 द्वारा उठाना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है। ऐसी  
 स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत जांच किए अधीनस्थ न्यायालय को  
 पारित करने में विधिक रूढ़ि की है। इस हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को  
 प्रतिप्रतिबत किया जाना न्यायविरत प्रतीत होता है।  
 फलस्वरूप, उपर्युक्त दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है  
 तथा अधीनस्थ न्यायालय का अधीनस्थ इंतकाल निरस्त किया जाता है। प्रकरण  
 अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रतिबत किया जाता है कि सभी  
 संबंधित पक्षकारों को विधिस्मृत नोटिस जारी कर, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित  
 अवसर प्रदान करते हुए, निर्णय में किए गए विवेचन को ध्यान में रखते हुए,  
 प्रकरण में नये सिरे से विधिस्मृत आदेश पारित करें। उभय पक्षकार अधीनस्थ  
 न्यायालय के समक्ष दिनांक 18-1-16 को उपस्थित हों। आदेश की प्रति के साथ  
 मूल रेकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे। आदेश की एक - एक प्रति  
 प्रत्येक अपील फाइल में शामिल की जावे।  
 आदेश आज दिनांक 15-12-15 को भरे द्वारा लिखया जाकर खुले  
 न्यायालय में सुनाया गया।



5

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन)  
 श्रीगंगानगर (राज.)